न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

बलभद्र दास वगैरह .... बनाम .... रश्मियन दास वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	अभिलेख सं0–एम.....23..../2018 धारा–107 द0प्र0सं0 थाना प्रभारी ....तमाड़..... के अप्राथमिकी सं0 8/18.... दिनांक-23/02/18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि खाता नं0 385 प्लॉट नं0 2517 के जमीन संबंधी विवाद के चलते उभय पक्ष में तनाव है।	
	जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।	
	अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द0प्र0सं0 की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू0 का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।	
	अभिलेख तिथि ....23-03-18.... को उपस्थापित करें।	
	लेखापित एवं संशोधित	
	कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। — कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। 8/3/18	
23-03-18	पीठासीन पदाधिकारी नगर पंचायत चुनाव कार्य में व्यस्त। दिनांक 09-4-18 को रखें।	

	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर
18-02-19	अभिलेख उपस्थापित। थाना प्रभारी से जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त। उभय पक्ष अनुपस्थित। ~~थाना प्रभारी को जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु पुनः स्मारित~~। दिनांक 08-03-19 को रखें। 18/02/19
08-03-19	अभिलेख उपस्थापित। थाना प्रभारी से जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त। उभय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 25-03-19 को रखें। 08/03/19
25-03-19	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। थाना प्रभारी/प्र०नि० से उभय पक्ष के शांति भंग होने से संबंधित कोई प्रतिवेदन न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः वाद में अभिलेख की कार्रवाई बन्द की जाती है। कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2021.08.16 14:28:11 +05:30
Location: 192.168.43.107